

24 NOV 2022

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

अ.भा.आ.स., नई दिल्ली / A.I.I.M.S., New Delhi-29 Ansari Nagar, New Delhi

IMMEDIATE

No.F. 16-2/2019-Genl.

Dated: 24 NOV 2022

CIRCULAR

Subject: Celebration of Samvidhan Divas 2022 at the AIIMS

The Institute will celebrate Samvidhan Divas on Saturday the 26th November 2022 at 11:00 A.M in the Foyer near Director Office, AIIMS, New Delhi. It is also inform that "PREAMBLE" of the Constitution will be read on the Prideful occasion.

Keeping in view the solemnity of this occasion, the Director has desired that all Faculty members, Officers, and the Staff should attend the programme as per scheduled. All Head of the Department /Section/Units are requested to inform the staff accordingly.


(Rajesh Kumar)
Administrative Officer

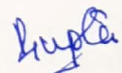
Distribution

1. Medical Supdt./Chief of Centers/Heads of the Department/ Hostel Supdt. /Faculty Members
2. All Centers Dr. RPC/Dr.B.R.A.IRCH/CNC/CTVS/JPNA Trauma center/CDER
3. President, FAIMS/RDA/Students Union/ SYS/ Students Nurses Union/ Officers Association /AIIMS SC/ST Emp. Welfare Association (Regd.)/ Karamchari Union/ Nurses Union
4. All Branch Officer/All Deptts./Units/ Section/Patient Cell/ Chief Nursing Officer
5. Engg. Deptt. / Estt.(Hosp)/Hostel Section/All
6. Officer-in-Charge, Computer Facility – to upload in the Institute website.
7. Officer-in-Charge, CMET for photography arrangement

Cc to : PPS to Director/ Dean

P.S to MS/DDA/DS/Sr.FA/CAO/SE/FA

Ms. Ankita Saini



त

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
अंसारी नगर, नई दिल्ली

फा.सं.16-2/2019-सामान्य

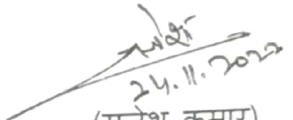
दिनांक: 24 NOV 2022

परिपत्र

विषय: एम्स में संविधान दिवस समारोह 2022 का आयोजन।

एम्स, नई दिल्ली द्वारा निदेशक कार्यालय के निकट फॉयर में शनिवार, दिनांक 26 नवंबर 2022 को प्रातः 11.00 बजे संविधान दिवस मनाया जाएगा। यह भी सूचित किया जाता है कि इस गौरवान्वित अवसर पर संविधान की "प्रस्तावना" पढ़ी जाएगी।

इस अवसर की गंभीरता को देखते हुए, निदेशक महोदय ने इच्छा व्यक्त की है कि सभी संकाय-सदस्य, अधिकारीगण तथा स्टाफ-सदस्य निर्धारित समयानुसार कार्यक्रम में उपस्थित रहें। सभी विभागों के विभागाध्यक्ष/अनुभागों/एककों के प्रभारीगण से अनुरोध है कि वे तदनुसार स्टाफ-सदस्यों को सूचना प्रदान करें।


24.11.2022
(राजेश कुमार)
प्रशासन अधिकारी

वितरण:

1. चिकित्सा अधीक्षक/केंद्रों के प्रमुखगण/ विभागाध्यक्ष/छात्रावास अधीक्षक/संकाय-सदस्यगण
2. सभी केंद्र डॉ. रा.प्र.कें./ डॉ. भी.रा.अ.सं.रो.कें.अ./ ह.तं.कें./ सी.टी.वी.एस./ ज.प्र.ना.ए.ट्रॉमा केंद्र/ दं.शि.अ.कें.
3. अध्यक्ष एफ.ए.आई.एम.एस./ आर.डी.ए./ स्टूडेंट यूनियन/ एस.वाई.एस./ नर्सिस स्टूडेंट यूनियन/ ऑफिसर्स एसोसिएशन/ एम्स एस.सी./एस.टी. एम्पलाईज वेलफेयर एसोसिएशन (रजि.)/ कर्मचारी यूनियन/नर्सिस यूनियन
4. सभी शाखा अधिकारी/सभी विभाग/एकक/अनुभाग/पेटेंट प्रकोष्ठ/मुख्य परिचर्या अधिकारी
5. इंजीनियरिंग विभाग/स्थापना (अस्पताल)/छात्रावास अनुभाग/समस्त
6. प्रभारी अधिकारी, कंप्यूटर सुविधा - इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
7. प्रभारी अधिकारी, सीमेट - फोटोग्राफी की व्यवस्था करने हेतु

प्रतिलिपि: निदेशक/ संकायाध्यक्षगण के प्रधान निजी सचिव

चिकित्सा अधीक्षक/ अपर-निदेशक (प्रशासन)/उप-सचिव/ वरिष्ठ वित्त सलाहकार/ मुख्य प्रशासन अधिकारी/ अधीक्षण अभियंता/वित्त सलाहकार

भारत का संविधान

हम, भारत के लोग, भारत को एक ¹[सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

उद्देशिका।

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और ²[राष्ट्र की एकता और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

¹संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

²संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।